न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2202—पीबीआर/06 विरुद्ध आदेश दिनांक 20—11—2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 523/2002—03 अपील

गजराज सिंह पुत्र काशीराम दांगी
निवासी ग्राम लखाहार तहसील बीना
जिला सागर ...... आवेदक

विरूद्ध

1— (मृत) नीमाबाई पुत्री फग्गनलाल पत्नी चित्तरसिंह
वरिसानः—
अ— शेरसिंह दांगी
ब— भैयाराम दांगी
स— दयासिंह दांगी
पुत्रगण चित्तरसिंह
निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील मुंगावली
जिला अशोक नगर
2— सुरेश सिंह पुत्र काशीराम दांगी
निवासी ग्राम लखाहार तहसील बीना
जिला सागर ...... अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री [illegible]
अनावेदक क्र [illegible] की ओर से अभिभाषक श्री [illegible] द्विवेदी

: आदेश :
(आज दिनांक 15-10-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 523/2002—03/अपील में पारित आदेश दिनांक 20-11-2006 के विरुद्ध भू— राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि [illegible] प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक [illegible] द्वारा ग्राम [illegible] की भूमि [illegible]

मिन रकबा 5.520 हैक्टर पर मृतक भाई के कोन तीन … वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक गजराज सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने आदेश दिनांक 24-…-03 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित कियाग या । एस.डी.ओ. के आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय ने आवेदक का वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की जो उन्होंने स्वीकार की एवं वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई जो अपर आयुक्त ने अपने आदेश द्वारा स्वीकार की एवं एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश पुनर्स्थापित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक वसीयतकर्ता की पुत्री का पुत्र है तथा वसीयतकर्ता उसके साथ रहती थी । वसीयतकर्ता भूमिस्वामी होने के कारण उसे वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । आवेदक द्वारा वसीयत को साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है । वसीयत संदिग्ध है इसके संबंध में कोई साक्ष्य अनावेदक ने प्रस्तुत नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य तथा गलत अनुमानों पर आधारित है । प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट ली गई तथा अनुविभागीय अधिकारी ने उचित आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने का कोई आधार न होते हुए भी अपर आयुक्त ने उसे निरस्त करने में वैधिक त्रुटि की है ।

4— अनावेदक क्र. 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए कहा गया कि वसीयत में पर्चे नंबर एवं … का उल्लेख नहीं है । वसीयत पर अंगूठा लगा है यह किसका है यह भी प्रमाणित नहीं है । वसीयत संदेहास्पद है । स्वाभाविक वारिसों को छोड़कर … किसी अन्य को किये जाने का कोई कारण वसीयत में उल्लेखित नहीं है जो … आवश्यक है । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1990 जे.एल.जे. 224 … दिया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण किए जाने के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह पाया है कि तहसीलदार ने एस.डी.ओ. के प्रत्यावर्तन आदेश के उपरांत विवेचन जांच कर वसीयत को संदिग्ध मानते हुए वारिसाना आधार पर नामांतरण के आदेश दिए हैं । उन्होंने यह भी पाया है कि प्रश्नाधीन संपत्ति वसीयतकर्ता की स्व अर्जित संपत्ति न होकर उसके पति की मृत्यु के बाद वारिस के नाते प्राप्त हुई है । अनावेदक मृतक भूमिस्वामी की पुत्री है जबकि आवेदक एवं अनावेदक क्र. 2 पुत्री के पुत्र हैं । उन्होंने न्यायदृष्टांत 1995 (2) एम.पी.वी.नोट 223 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत कि संपत्ति में आजीवन हित रखने वाला व्यक्ति वसीयत द्वारा संपत्ति का अन्यसंक्रामण नहीं कर सकता । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध नहीं मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश जिसके द्वारा वारिसाना आधार पर नामांतरण के आदेश दिए गए हैं, को स्थिर रखा गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण न्यायोचित एवं विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार की विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है अतः आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप अनावश्यक है ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर